HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. <u>C/1733</u>

Jabalpur, dated 04.5.2016.

The copies of the Notifications of the Government of M.P. F.No.1-6/89/XX1-B(1)1509/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 and F.No.1-6/89/XXI-B(1)1400,1441/2016, Bhopal, dated 03.5.2016 as per the provisions of Section 36(2) of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 forwarded to;

- 1. The Principal Secretary, Government of M.P. Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal for information,
- 2. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
- 3. The P.S. of the Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information of the Registrar General,
- 4. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
- 5. The District and Sessions Judges (All in the State) for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officer.
- 7. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.

8. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

(Vivek Saxena) O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

भोपाल, दिनांक उ मई, 2016

फा.क्रमांक 1—6/89/इक्कीस—ब(एक) 1509/2016,— स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1—6—89—इक्कीस—ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग—1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :--

अनुकमां क	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"13.	श्री बी.आर.पाटिल, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दमोह	दमोह	दमोह .''

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

NOTIFICATION

F-N01-6/89/XX1-B(1) 1509/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F.1-6-89-XX1-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely:-

<u>AMENDMENT</u>

In the said notification, in the schedule, for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
"13,	(2) Shri B.R.Patil, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Damoh	(3) Damoh	(4) Damoh."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पु.क्रमांक 1-6/89/इक्कीस-ब(एक) 1509/2016, प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक...../05/2016

- रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की और उनके ज्ञापन कमांक ए/1188, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में,
- सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल, 2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 3 मई, 2016

फा.क्रमांक 1-6/89/21-ब(एक) 1400,1441/2016,- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1, 2, 4, 7, 7-क, 7-ख, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 39, 42, 47-1, 48, 49 एवं 52-अ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित

की जाए, अथात् :-				
अनुकमां	न्यायाधीश का नाम तथा	1		
क	पदनाम	न्यायालय	क्षेत्र/सेशन खण्ड	
1.	श्री बिनोद कुमार द्विवेदी, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्थायाधीश,इंदौर		इन्दौर	
2.	श्री ओमकारनाथ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	
3.	श्री गोपाल श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा	रीवा	रीवा	
7.	श्री विगल प्रकाश, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	
7—क	श्री जे. सी. राठौर,अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	अतिरिक्त विशेष न्यायालय मंदसौर	मंदसौर	
7—ब	श्री अंजनी नंदन जोशी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	गरोठ	तहसील गरोठ तथा गनपुरा के स्थानीय क्षेत्र तथा इन क्षेत्रों के विचारण के लिये लंबित मामले	
8.	श्री आर.आर.बड़ोदिया, बारहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	

//2//

	//2//		
10.	श्री राजकुमार भावे,विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति तथा	शाजापुर	शाजापुर
	अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,शाजापुर		होशंगाबाद
14.	श्री आर.जी.कोठे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, होशंगाबाद	होशंगाबाद	
15.	श्री श्यामकांत कुलकर्णी, विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीहोर	सीहोर	सीहोर
17.	श्री कुलदीप जैन, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
18.	श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, देवास	देवास	देवास
25.	श्री बी.एस.भदौरिया,अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	मुरैना	मुरैना
26.	डॉ. जे.सी.सुनहरे , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,धार	धार	धार
30.	श्री दीपेश कुमार तिवारी, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
31.	श्री तारकेश्वर सिंह,विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया	दतिया	दतिया
39.	श्रीमती विभावरी जोशी, विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सतना	सतना	सतना
42.	श्री लीलाधर बौरासी, विशेष न्यायाधीश,अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सीधी	सीधी	सीधी
47-1	श्री अरविंद कुमार शुक्ला, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कटनी	कटनी	कटनी

	11311		
48.	श्री राजेश कुमार कोष्टा, विशेष	हरदा	हरदा
	न्यायाधीश, अनुसचित जाति तथा		
	अनुसूचित जनजाति (अत्याचार		
	निवारण) अधिनियम, हरदा		4117111
49.	श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, द्वितीय	श्योपुर	श्योपुर
	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर		उमरिया."
52-3I.	श्री एस.सी.पाल, प्रथम अतिरिक्त सत्र	उमरिया	जनारया.
	न्यायाधीश, उमरिया		

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें। NOTIFICATION

F-N01-6/89/XX1-B(1)/2013/1400,1441/2016,-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F.1-6/89-XX1-B(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April,1998, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, for serial numbers 1, 2, 4, 7, 7-A, 7-B, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 39, 42, 47-1, 48, 49 एवं 52-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S.No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Binod Kumar Dwivedi, XVII th Additional Session Judge, Indore	Indore	Indore
2.	Shri Omkarnath, Additional Sessions Judge, Ujjain	Ujjain	Ujjain
4.	Shri Gopal Shrivastava, II nd Additional Sessions Judge, Rewa	Gwalior	Gwalior
7.	Shri Vimal Prakash, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act,, Mandsaur	Mandsaur	Mandsaur

//4//

	1/4//		
7-A.	Shri J.C.Rathore, Additional	Additional Special	Mandsaur
	Sessions Judge, Mandsaur	Court, Mandsaur	
7-B.	Shri Anjani Nandan Joshi,	Garoth Mandsaur	Garoth Mandsaur
	Additional Sessions Judge,		
7454	Garoth		
8.	Shri R.R.Badodia, XII Additional	Jabalpur	Jabalpur
	Sessions Judge, Jabalpur		
10.	Shri Rajkumar Bhave, Special	Shajapur	Shajapur
	Judge, Scheduled Castes,		
	Schedule Tribes (Prevention of		
	Atrocities) Act. Shajapur		
	Shajapur	A STATE OF THE STA	
14.	Shri R.G.Kothe, Special Judge,	Hoshangabad	Hoshangabad
• ••	Scheduled Castes, Schedule		
	Tribes (Prevention of Atrocities)		
	Act, Hoshangabad		***************************************
15.	Shri Shyamkant Kurkarni,	Sehore	Sehore
	Special Judge, Scheduled		
	Castes, Schedule Tribes		
	(Prevention of Atrocities) Act.,		
	Sehore		
17.	Shri Kuldeep Jain, II nd Additional	Bhind	Bhind
11.	Session Judge, Bhind		
18.	Shri Prem Chandra Sharma,	Dewas	Dewas
19.	Special Judge, Scheduled		
	Castes, Schedule Tribes		
	(Prevention of Atrocities) Act,		
	Dewas		
25.	Shri B.S.Bhadoria, Additional	Morena	Morena
۷٠.	Sessions Judge, Morena		
26.	Shri J.C.Sunahare, Special	Dhar	Dhar
20.	Judge, Scheduled Castes,		
	Schedule Tribes (Prevention of		
	Atrocities) Act, Dhar		
20	Shri Deepak Kumar Tiwari, II nd	Chhindwara	Chhindwara
30.	Additional Session Judge,	Çiii ii diridi d	
	Chhindwara		
24	Shri Tarkeshwar Singh, Special	Datia	Datia
31.	Judge, Scheduled Castes,	Dans	
	Schedule Tribes (Prevention of		
	Atrocities) Act. Datia		
20	Smt. Vibhawari Joshi, Spl.	Satna	Satna
39.	Judge, , Scheduled Castes,	Catilu	
•	Schedule Tribes (Prevention of		
	1		
1/3	Atrocities) Act, Satna	Sidhi	Sidhi
42.	Shri Liladhar Borasi, Special	Şiuili	OMIT
	Judge, Scheduled Castes,		
	Schedule Tribes (Prevention of		
	Atrocities) Act, Sidhi		

47-1.	Shri Arvind Kumar Shukla, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Katni	Katni	Katni
48.	Shri Rajesh Kumar Koshta, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act., Harda	Harda	Harda
49.	Shri Akshaya Kumar Dwivedi , II nd Additional Sessions Judge,Sheopur	Sheopur	Sheopur
52-A.	Shri S.C.Pal, I st Additional Sessions Judge, Umaria.	Umaria	Umaria ."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्रमांक 1—6 / 89 / 21—ब(एक) 1400,1441 / 2016, भोपाल, दिनांक 🗓 मई, 2016 प्रतिलिपि:—

- रिजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,की ओर उनके ज्ञापन कमांक बी/1555/2016, दिनांक 10 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में,
- सचिव, म.प्र. शासन, गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, भोपाल,
- 3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड, छिंदवाड़ा, दितया, देवास, धार, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, मंदसौर, मुरैना, रीवा, सतना, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सीधी, उज्जैन एवं उमरिया, म.प्र., की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय,भोपाल,
- की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 5. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

% (आर.के.वाणी) सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग